हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/19 पत्रावली पेश। पेशकार अन्य पुस्तक उपस्थित। मौके रिपोर्ट हल्का प्राप्त नहीं हुई। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट हल्का व अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/19 को पेश हो।	TDR
23-12-19 पत्रावली पेश। निर्वाचन ड्यूटी लिप्त न्यायालय वास्ते नियत दिनांक 30-12-19 को पेश हो।	
30/12/19 पत्रावली पेश। पेशकार हाजिर वकील प्रार्थी उपस्थित। पेशकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट हल्का का अवलोकन करके पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार (न्यायिक) महोदय के द्वारा आजमाईश के बिन्दु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार करने के योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया जाता है। पत्रावली इसी के साथ निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
आदेश आज दिनांक 30/12/19 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। 30/12/19	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी रामनरेश कुमावत

प्रकरण सं० 70/2011
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला
प्रार्थी

बनाम
1. कृष्णा पत्नि साहबराम जाति बिश्नोई साकिन 8KPD
2. ओम कुमारी पत्नि रवीराम जाति बिश्नोई साकिन-
3 डी.ओ.एल. तहसील खाजूवाला
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177(1)(अ)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::   दिनांक :- 30/12/2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से तहसीलदार राजस्व खाजूवाला ने एक प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन किया कि चक 9 केपीडी. के पत्थर नं. 198/34 3-670 हैक्टेयर व पत्थर नं. 198/35 की 1-265 हैक्टेयर कुल 4-935 हैक्टेयर भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड बारानी अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य ही कर सकती है मगर अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि में रह कर अवैध रूप से नियम का खनन करके अकृषि कार्य

—लगातार—2

हस्ता०

के उपयोग में रहा जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 177 (बी) (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करते हुये भूमि को राजकीय भूमि में समायोजित किये जाने के साथ अप्रार्थीगण को बेदखल करने का निवेदन किया। प्रकरण दर्ज करके अप्रार्थीगण को तलब जरिये नोटिस किया गया।

अप्रार्थीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना-पत्र पेश करके अवैध जिसमें निकलते 5 मुरब्बा भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग लेने के आरोप अस्वीकार किये और उपरोक्त मुरब्बा नम्बर 19/34, 19/8/35 से अप्रार्थीगण के साथ कुछ भूमि वन विभाग के नाम से मौके है अवैध खनन कर्ताओं ने वन विभाग के रकबा राजि के अवैध जिसमें खनन किया गया है, हल्का पटवारी ने रिपोर्ट बनाते समय अप्रार्थीगण व वन विभाग तथा रकबा राज की भूमि की पैमाइश किये व बिना मुरब्बा के बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण के रकबा में अवैध खनन होना बताकर झूठी रिपोर्ट बनायी है प्रार्थना-पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण के द्वारा मौका की जांच हेतु मौका कमिश्नर नियुक्ति का निवेदन किया जिस पर मौका की जांच हेतु तहसीलदार धौलपुर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया। जिस पर तहसीलदार धौलपुर ने अपने पत्रांक 1089 दिनांक 3-12-2013 ई. मौका कमीश्नर की रिपोर्ट पेश की

लगातार-3

प्रक० 70/2011

चक 9 KPD का प०न० 198/34 का किला नं० 1, 10, 11, 14 ता 18, 19, 20, सालम 21 ता 25 की 1-140 हैक्टेयर कुल 3-670 हैक्टेयर व प०न० 198/35 के किला नं० 1 ता 5 की कुल 1-265 कुल 4-935 हैक्टेयर भूमि का मौका देखा गया जो कि कृष्णा पत्नि साहबराम जाति बिश्नोई साकिन 3 डी.ओ. डबल व जीन कुमारी पत्नि रत्तीराम जाति बिश्नोई के नाम का० हिबा-खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौका पर पत्थर नं० 198/35 मे खनन कार्य नही पाया गया है तथा मु०न० 198/34 का किलानं० 10, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 मे जिप्सम का खनन का कार्य किया हुआ पाया गया। जिसकी फर्द मौका के साथ रिपोर्ट पेश की गई।

प्रकरण मे साक्ष्य के रूप मे तत्कालीन पटवारी हल्का मुकराम जाखड के ब्यान करवाये गये जिसकी जिरह वकील प्रतिवादी ने की। ब्यानो मे दौराने जिरह दर्ज करवाया की उक्त भूमि जिसके सम्बन्ध मे तहसीलदार द्वारा इस्तगासा के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है का मौका पर पहुंचा और मौका पर जिप्सम खनन होना पाया गया जिसके आधार पर मेरे द्वारा पूर्व मे रिपोर्ट तहसील कार्यालय मे प्रस्तुत की गई थी। 9 व 10 के पी डी मे कृषि भूमि के नीचे निम्न श्रेणी का जिप्सम पाया जाता है तथा उक्त भूमि रेतीली टीबा क्षेत्र है। जिप्सम किस प्रकार का होता है की जानकारी पटवारी को नही है उपरोक्त भूमि मे

[signature]

लगातार—4—

Scanned by CamScanner

क्या फसल बिजान्द थी मुझे मालूम नहीं तथा मेरे-
द्वारा की गई रिपोर्ट में किन किन खसरा नम्बर में
अवैध जिप्सम का खनन हुआ है का उल्लेख
नहीं किया गया। साथ ही मौके पर खड़ी फसल का
विवरण भी दर्ज नहीं किया गया।

अनावेदक के जवाब के समर्थन में
साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये
जाने पर दिनांक 11-7-18 को साक्ष्य अनावेदक बन्द
किया गया। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पेशकार
राज एवं अनावेदक वकील की बहस सुनी जाकर
मनन किया और पेशकार राज द्वारा प्रस्तुत लिखित
बहस के साथ मूल प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना
पत्र का अवलोकन किया गया। साथ ही मौका कमीश्नर
की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया जाता है
कि अनावेदक के नाम दर्ज कृषि भूमि चक
7 केपीडी के खसरा 198/34 व 198/35 कुल
4.9335 हैक्टेयर भूमि में अनावेदक ने बिना किसी
सक्षम अधिकारी की विधिवत स्वीकृति लिये बिना
ही अवैध रूप से जिप्सम का खनन करके राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम की धारा 177(1)(क)
का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है ऐसी
स्थिति में पेशकार तहसीलदार (राजस्व) घड़साना का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता
है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार-

लगातार -5

प्रकरण 70/2011

— 5 —

(राजस्व) बडसाना के ~~विरुद्ध~~ द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177-(1)(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार करके अप्रार्थीगण कृष्णा पत्नि साहबराम जाति बिश्नोई निवासी 8 के.पी.डी. व जोन कुमारी जाति बिश्नोई निवासी 3 डी.जे.एल. पत्नि रत्तीराम जाति बिश्नोई निवासी के नाम दर्ज चक 9 के.पी.डी. का पत्थर नं. 198/34 के कि.नं. 1/0.253, 10-11/0.506, 14 ता 20/1.771, 21/0.228, 22/0.228, 23/0.228, 24/0.228, 25/0.228, = 3.670 हैक्टयर, पत्थर नम्बर 198/35, कि.नं. 1 ता 5/1.265 कुल 4.935 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से खारिज करके सरकार राज घोषित किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) खड़साना द्वारा तहसीलदार राजस्व को निर्देशित किया जाता है कि वह इस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड सरकार राज दर्ज करने के साथ इस भूमि का कब्जा तत्काल सरकार लेकर सुनिश्चित करे और इस भूमि में अवैध निर्माण को स्वीकृत नहीं हो। पत्रावली इसी के साथ निर्णीत होकर नत्थी दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 30/12/2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

30/12/19
(रामावतार कुमावत)
RAS

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Kumawat
Date: 2020.02.07 16:30:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: